2/5/18

(तारी)ख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
-18	यह दावा श्री लक्ष्मीकांत शर्मा एड० ने पेश किया गया। रिपोर्ट अहलमद का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर होकर तलबी प्रतिवादी की जाकर पत्रावली दिनांक 3-5-18 को पेश हो। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	
3/5/18	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प ग्रा०पं० फुलवाड़ा पर पेश हुई। वादीगण उप०/ वादी एवं प्रतिवादीगण को कैम्प में राजस्व लोक अदालत की भावना से सुना गया। तथा पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट के मुताबिक प्रकरण प्रथम दृष्टया दुरस्ती का बनता है। अतः वादी का दावा आंशिक डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे। उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर – बामनवास

(पीठासीन अधिकारीः लोक अदालत/कैम्प कोर्ट फुलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. बत्ती लाल,
2. रामकेश एवं
3. रामराज

पुत्रगण मौजीराम, जाति मीना, निवासी फुलवाड़ा, तहसील बामनवास

वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास — प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,

इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 39/2018

वादीगण की ओर स्वयं वादीगण व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 3.5.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 126 रकवा 0.52 हैक्टेयर स्थित ग्राम फुलवाड़ा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किए जाने का आदेश दिया जाता है व प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण को विवादित आराजी के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई व्यवधान प्रत्यक्ष या परोक्ष से उत्पन्न न करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 3.5.2018 को जारी की गई ।

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास